

सोशल ऑडिट
मेरठ पेयजल योजना

₹ 341.03 करोड़

प्रस्तुतकर्ता

मेरठ सिटीजन फोरम



जल संशोधन संयंत्र, भोला की झाल

MEERUT
CITIZENS
FORUM

2011 से निर्मित ओवरहेड टैंक 2020 में भी अनुपयोगी ? वितरण प्रणाली ध्वस्त पेयजल आपूर्ति ठप



खडौली 1500 कि०ली०



रोशनपुर डौरली 1500 कि०ली०

प्रस्तावना

सर्वविदित है कि, मेरठ नगर में भूजल स्तर की गिरावट भयावह स्थिति में है। यह भी संज्ञान में आया है कि मेरठ सहित देश के 21 शहर 'डे-जीरो' (वर्ष 2030 में भूजल समाप्त) की कगार पर है। फोरम द्वारा अपने स्तर पर पहल करते हुए इस समस्या के समाधान हेतु वर्षा जल का संचयन कर उसे भूभृत में भेजने हेतु नागरिकों को जागरूक करने व इसकी तकनीकी जानकारी देने के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड व भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश की तकनीकी पर आधारित एक लघु पुस्तिका प्रकाशित की, जिसका विमोचन स्थानीय सांसद मा0 श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी द्वारा किया गया। फोरम की सलाह पर आधारित नगर में अनेकों स्थानों पर वर्षा जल संचय कर भूभृत में भेजने की संरचना कराई गयी।

इसके अतिरिक्त भूभृत से अनावश्यक जल दोहन को बंद करने के दृष्टिकोण से यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि मेरठ नगर निगम के पास 100 एमएलडी गंगाजल की उपलब्धता है तथा 157 नग ट्यूबवैल से भूगर्भ जल का दोहन हो रहा है। इस प्रकार नगर निगम के पास 414 एम.एल.डी. जल उपलब्ध है। जबकि नगर की 15 लाख की आबादी की जलापूर्ति के लिए कुल आवश्यकता वर्तमान मानको के अनुसार लगभग 250 एम.एल.डी. है। इस प्रकार केवल नगर निगम 100 एम.एल.डी. गंगाजल का पूर्ण उपयोग कर काफी ट्यूबवैल से जल दोहन बंद करने की स्थिति में है। पेयजल आपूर्ति के कार्यों की संरचना जल निगम द्वारा की जाती है एवं उसका रखरखाव नगर निगम द्वारा किया जाता है। फोरम द्वारा व्यक्तिगत रूप से व पत्राचार के माध्यम से दोनो संस्थाओं से निरन्तर ये

आग्रह किया जाता रहा कि पूर्ण गंगाजल का उपयोग कर अनावश्यक रूप से भूजल दोहन कर रहे नलकूपों को बंद किया जाए।

निरन्तर प्रयास के उपरान्त भी सफलता न मिलने पर मेरठ नगर की पेयजल योजना रू0 341.03 करोड वर्ष 2008-09 का विस्तृत अध्ययन किया गया। जिसके अन्तर्गत प्रोजेक्ट का डिटेल्ड अध्ययन व स्थलीय निरीक्षण किये गये। अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि इस योजना में निर्माण की गयी अनेक संरचनाये अभी उपयोग में ही नहीं आ रही है। अतः इसका एक विस्तृत विश्लेषण तैयार किया गया जिसे मा0 सांसद जी की उपस्थिति में नगर निगम व जल निगम के अधिकारियों के साथ दिनांक 09.09.2019 में बैठक कर प्रस्तुत किया गया। दोनों विभागों के अधिकारियों द्वारा विश्लेषण पर सहमति व्यक्त की गयी तथा त्वरित कार्यवाही के लिए आश्वासन भी दिया गया।

उक्त के उपरान्त भी दोनों संस्थाओ द्वारा कोई उल्लेखनीय कार्यवाही नहीं की गयी। विवश होकर दिनांक 4 मार्च 2020 को फोरम व नगर के अन्य संभ्रांत नागरिकों द्वारा आयुक्त चौराहे पर एक सांकेतिक धरने का आयोजन भी किया गया। अब एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। अभी भी दोनो विभागों से अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गयी है और अभी भी योजना में निर्मित अनेक संरचनायें उपयोग में नहीं ली जा रही है। फोरम का स्पष्ट मत है कि यह सार्वजनिक धन के साथ खिलवाड़ है। योजना का विश्लेषण जन सामान्य की सूचनार्थ एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत है।

भूमिगत जलाशय

2015 में निर्माण पूर्ण
अभी भी जल वितरण से जुड़ना अपूर्ण



गोला कुँआ 600 कि०ली०



बच्चा पार्क 550 कि०ली०



माधवपुरम 2750 कि०ली०



नौचंदी 550 कि०ली०

अमृत योजना के अन्तर्गत नगर निगम की पुर्नगठित पेयजल योजना अंकन रू 341.00 करोड़ के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों का विश्लेषण

समय-समय पर उ०प्र० शासन/केन्द्र सरकार द्वारा जिला स्तर/नगरीय स्तर पर नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार की योजनायें क्रियान्वित करायी जाती हैं। लक्ष्य भी निर्धारित किये जाते हैं, परन्तु योजनाओं के लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों का स्वतन्त्र संस्था से आंकलन व उसका सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है।

सामान्यतः कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि के उपयोग की स्थिति शासन को प्रेषित कर योजना की इतिश्री हो जाती है। इससे शासन द्वारा कराये गये इन श्रेष्ठ कार्यों का जनसामान्य पर प्रभाव व लक्ष्यों की प्राप्ति न होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था द्वारा आवश्यक कार्यवाही/योजनाओं की त्रुटियों को ठीक करने का अवसर नहीं मिल पाता।

वर्ष 2008 में मेरठ नगर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा आपूर्ति किये जा रहे पेयजल क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाकर 20 लाख की जनसंख्या के लिए 172 लीटर प्रति व्यक्ति की दर जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करने के लिए संसाधन बढ़ा कर पुर्नगठित योजना तैयार की गई।

योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तावित कार्य, उनके क्रियान्वयन व उपयोग की स्थिति निम्नवत है -

| क्र०सं० | प्रस्तावित कार्य | कार्य का क्रियान्वयन की स्थिति | उपयोग की स्थिति |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | नये नलकूप - 57 नग | पूर्ण | 1 नग उपयोग में नहीं |
| 2. | रिबोर नलकूप - 22 नग | पूर्ण | उपयोग में |
| 3. | उच्च जलाशय - 31 नग | पूर्ण | 2 नग उपयोग में नहीं |
| 4. | भूमिगत जलाशय - 6 नग | पूर्ण | 4 नग उपयोग में नहीं |
| 5. | भोला की झाल से 100 एम.एल.डी जलापूर्ति | पूर्ण | केवल 100 एम.एल.डी. से 58 एम.एल.डी. का ही उपयोग |



मा0 सांसद जी की उपस्थिति में नगर निगम व जल निगम के अधिकारियों को सोशल ऑडिट रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण (दि० 09.09.2019)



धरना आयोजन पूर्व मेरठ सिटीजन फोरम की बैठक



आयुक्त चौराहे पर धरना देते मेरठ सिटीजन फोरम व अन्य संभ्रांत नगरवासी

विश्लेषण

योजना में पूर्व से उपलब्ध भूमिगत जलाशय (1) टाउन हॉल (2) शर्मा स्मारक (3) सर्किट हाउस तथा अमृत योजना में बने विकासपुरी व माधवपुरम के साथ-साथ पूर्व से उपलब्ध उच्च जलाशय (1) टाउन हॉल (2) सूरजकुण्ड (3) भगवतपुरा (4) बच्चा पार्क (5) पुरानी तहसील (6) तारापुरी (7) सर्किट हाउस (8) फतेहउल्लापुर जलाशय गंगाजल से जुड़े हुए हैं, परन्तु माधवपुरम स्थित भूमिगत जलाशय भगवतपुरा, बच्चा पार्क, पुरानी तहसील व सर्किट हाउस के उच्च जलाशय गंगा जल संचालित नहीं हो रहे हैं।

विकासपुरी में सबसे अधिक क्षमता (6500 किली0) का भूमिगत जलाशय, जहाँ पर 13 पम्प लगे हैं, में केवल 3 पम्प ही प्रयोग में हैं। जिसके कारण तारापुरी तथा फतेहउल्लापुर की जलापूर्ति एक साथ नहीं चल पाती है। विकासपुरी, श्यामनगर, जनकपुरी, इस्लामाबाद व इससे मिले क्षेत्र में गंगाजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। विकासपुरी जलाशय से ही तारापुरी को जाने वाली पाइप लाइन काफी समय से क्षतिग्रस्त है, इससे तारापुरी, अबरार नगर, ईदगाह कालोनी आदि में पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है।

उपरोक्त समस्त व्यवस्था ठीक हो जाने के उपरान्त 70 से 80 एम. एल.डी. गंगाजल का उपयोग सुनिश्चित होना सम्भव है। गंगाजल से जुड़े सभी भूमिगत जलाशयों व उच्च जलाशयों से आच्छादित क्षेत्रफल में स्थापित नलकूप जिनकी संख्या लगभग 35 बन्द

कराकर गंगाजल की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ इससे संकट ग्रस्त भूजल से लगभग 70 एम.एल.डी. जल का दोहन भी बन्द हो जायेगा, इसके साथ बिजली पर व्यय, चालको पर किया जा रहा व्यय भी बचेगा। इसके अतिरिक्त बच्चा पार्क, गोला कुँआ व नौचन्दी में स्थित भूमिगत जलाशयों को भी गंगाजल से अच्छादित किया जाना सम्भव है।

भूमिगत जलाशय (1) बच्चा पार्क (2) नौचन्दी (3) शास्त्रीनगर (4) गोला कुँआ कुल क्षमता 2250 किली0 पर किया गया **रु0 450 लाख व्यय** अस्थाई रूप से अनुपयोगी है।

रोशनपुर डौरली व खडौली की जलापूर्ति हेतु निर्मित किये गये 2 उच्च जलाशय क्षमता (1500 किली0 प्रति) व एक नलकूप पर किया व्यय **रु0 300 लाख अंकन** भी अभी तक अनुपयोगी है, एवं नौचन्दी क्षेत्र में निर्मित (1200 किली0) उच्च जलाशय भी उपयोगी नहीं है। जिस पर **रु0 145 लाख** की धनराशि भी अभी अनुपयोगी है।

कार्यदायी संस्था जल निगम, रखरखाव के लिए नगर निगम के मध्य समन्वय ना होने के कारण योजना का पूर्ण लाभ नगरवासियों को नहीं प्राप्त हो रहा है। अनुपयोगी संसाधनों पर किये गये व्यय के अस्थाई दुरुपयोग के लिए दायित्व निर्धारण भी आवश्यक है।

सुझाव

1. बच्चा पार्क, गोला कुँआ, नौचन्दी भूमिगत जलाशयों को गंगाजल से सम्बद्ध कर गंगाजल का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है।
2. वर्ष 2008 में तैयार की गयी पुर्नगठित पेयजल योजना के समय जलापूर्ति के मानक 172 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन तैयार की गयी थी। सम्भवतः भूजल संकट को दृष्टिगत करते हुए शासन द्वारा वर्तमान में 155 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मानक निर्धारित किये गये हैं। जिसके अनुसार वर्तमान की जनसंख्या 18 लाख के लिए केवल 280 एम.एल.डी. जल की आवश्यकता है। जबकि उपलब्ध जलापूर्ति के संसाधन (1) 157 नग नलकूपों से 270 एम.एल.डी. (अपेक्षाकृत पुराने नलकूपों की क्षमता को कम आंकते हुए) है (2) 100 एम0.एल.डी. गंगाजल कुल 370 एम.एल.डी. जल उपलब्ध है। इस प्रकार लगभग 90 एम.एल.डी. जल
3. इसके अतिरिक्त नगर में जलापूर्ति के लिए 3500 मिनी नलकूप (1 एच.पी. से 10 एच.पी तक) उपलब्ध है। ऐसे में 100 एम.एल.डी. के गंगाजल से आच्छादित नलकूपों को अस्थाई रूप से समस्त मिनी नलकूपों को अस्थाई रूप से बन्द कर संकट ग्रस्त भूजल का दोहन बन्द किया जाना चाहिए।
4. पेयजल की उपलब्धता को देखते हुए नये हैंडपम्स न लगाये जायें व पुराने खराब पड़े हैंडपम्स पर अनावश्यक व्यय न किया जाए।
5. योजना की कार्यदायी संस्था व रखरखाव संस्था के मध्य समन्वय व उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में नियमित बैठक अत्यन्त आवश्यक है।

